[Shri P. Chidambaram]

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was put and the motion was adopted.

BEEDI AND CIGAR WORKERS (CONDITIONS OF EMPLOYMENT) AMENDMENT BILL, 1987

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): Sir, I move:

"That the Bill to amend the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966, be taken into consideration."

The Beedi and Cigar industry is essentially an agro-based industry. It provides employment to about 32.75 lakh workers mostly belonging to the poorer sections of the society. The industry is by and large unorganised as only a small percentage of production is undertaken in regular establishments. The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 was enacted to provide for the welfare of the workers in Beedi and Cigar establishments and to regulate the conditions of their work and for matters connected therewith. The Act is enforced by the State Governments. In a meeting of the standing tripartite committee, it was felt that the Act needs to be amended to make it more effective. The suggestions have been examined in consultation with the State Governments and others. The Bill introduced in Rajya Sabha on 3rd December 1987 seeks not only to provide more favourable conditions of work for the workers but also facilitate enforcement of the existing provisions. Some of the proposed amendments are:

1. to extend the coverage of the Act to the employees working in godowns and warehouses and also those who are working with the permission of or under agreement with both the employer and the contractor;

2. to make the provision regarding calculation of overtime wages of the workers employed on piecerate basis more clear and unambiguous;

3. to confer on the Appellate Authority the powers of civil court for the purpose of compelling attendance of witnesses and compulsory production of records;

4. to reduce the number of female employees from 50 to 30 for providing a suitable room or rooms inside the industrial premises by the employer for the children under the age of six years of such female employees;

5. to make penal provisonis more stringent and to empower the State Governments to prescribe the time limit within which a dispute between an employer and an employee relating to the issue of raw-materials by the employer to the employee, payment of wages for the beedi and cigar or both, rejected by the employer etc. shall be referred for settlement to such authority as the State Government may by rules, specify in this behalf.

Sir, India has ratified the Labour Inspection Convention No. 81 of the International Labour Organisation. Accordingly, the Bill also seeks to introduce a provision that the labour inspector shall treat as absolutely confidential the source of any complaint regarding the breach of any provisions of the Act. These amendments to the Act would go a long way to remove the administrative and practical difficulties faced by the implementing agencies in enforcing the provisions of the Act.

With these words, I commend the Bill for the consideration of this august House.

The question was proposed.

डा० बापू कालदाते (महाराष्ट्र) : उप-सभाध्यक्ष जी, मैं चंद शब्दों में बीड़ी, सिगार कर्मकार संशोधन विधेयक, 1987 के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। महोदय, मुझे महाराष्ट्र में बीड़ी मजदूरों के साथ काम करने का थोड़ा अनुभव रहा है। इस कारण जो कुछ व्यावहारिक दिक्कतें इसे लागू करने में आती है और इस कानून के जरिए जिन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया गया है, इसके संबंध में मैं कुछ कहना चाहूंगा।

महोदय, सिद्धांत रूप से तो मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इस विधेयक के जरिए इसकी जो कक्षा है, उसे विस्तृत करने का काम किया गया है। इसमें जो शक्ति चाहिए उस कानून को लागू करने के लिए, उस शक्ति का अधिक उपयोग करने की क्षमता यह कानून रखता है और आय० एल० ओ० कनवेंशन के जरिए जो गोपनीयता की आवश्यकता हम सब लोगों ने मान ली है, उस गोपनीयता को भी यह अपनी मंजूरी दे देता है। इसलिए जहां तक इसकी कक्षा विस्तृत हो गई है, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको यह कहूं कि सबसे बड़ी दिक्कत इस कानून की यह है कि यह राज्य सरकारों के अधीन है और इससे हमको कभी-कभी लगता है कि जो उसको लागू करने का प्रयास, दिशा, सशक्तता है, उसको राज्य सरकार को जिस ढंग से देखना चाहिए, देखती नहीं है अगर देखती नहीं हैं तो आपका यह कानून मंगलकामना का संकल्प होता है, सिद्धि का रास्ता नहीं बनता है। यह आपकी मंगलकामना है। जैसे हमारी पुरानी संस्कृति में है कि :

सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुखम् आजुपात्

यह संकल्प हजारों सालों से चलता आया, लेकिन दुख वैसा का वैसा रहा। यह संकल्प से काम नहीं होगा, सिद्धि की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पढ़ा है, आपके यहां एक मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस हुई थी, 1987 में और जहां तक असंगठित मजदूरों का सवाल है इस पर काफी चर्चा हुई और खासकर जो बीड़ी मजदूर या सिगरेट में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके बारे में आपने विशेष ध्यान देने का भी इसमें कहा था। मुझे लगता है कि यह बड़ी दिक्कत है सभी अन-आर्गनाइज्ड सैक्टर के लिए। आप लैंडलैस लेबर्स के बारे में देखिए। लैंडलैस लेबर्स के लिए कोई कम कानून नहीं है लेकिन चूंकि यह असंगठित होता है और असंगठित मजदूर विस्तृत पैमाने पर फैल रहे हैं, इसके लिए अंडर दि वन रूफ वाली इंडस्ट्रीज का जिस ढंग से हम ख्याल रख सकते हैं या उसका इंतजाम कर सकते हैं और कानून को कड़े ढंग से अगर लागू करना चाहें तो लागू कर सकते हैं, यह व्यवस्था असंगठित मजदूरों में नहीं होती है। सबसे बड़ी दिक्कत हमने इसमें देखी है, मैं खुद लैंडलैस लेबर कमेटी का मैम्बर रहा हूं, जब एम०एल०ए० था तब की बात है यह तो हमने देखा है कि यह मजदूर देहाती मजदूर हैं और वहां पर जो कानून है उनको लागू करने के लिए जो प्रावधान है उसके लिए इंसपैक्टर नहीं हैं। इन्सपैक्टर नहीं हैं तो आप तैनात कर सकते हैं। तो कानून कहीं तो रहेगा। इन्सपैक्टर नहीं रहेंगे तो उनका दुख वैसे ही चलता रहेगा। बीड़ी मजदूरों में और एक बात विशेष रूप से देखनी चाहिए। जहां तक मैंने देखा है वहां पर कि वहां महिला मजदूर बहुत होते हैं। भले ही आपका यह चाइल्ड लेबर वाला प्रावधान कुछ भी हो, लेकिन हम स्वयं देख चुके हैं कि वहां बच्चे भी बहुत काम करते है। यह बच्चे हों या महिलाएं हों उनपर तो असर होता है और आज तक की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें यह भी कहा गया है कि इसमें जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग है उनकी सबसे ज्यादा संख्या होती है। इसमें दो चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। एक है उनके आरोग्य की तरफ, उनकी सेहत की तरफ। आप जानते है कि सबसे ज्यादा टी० बी० की बीमारी का शिकार यह बीड़ी मजदूर होते है। मैंने खुद देखा है कि अकोला, संगम वैजापुर और जालना के महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के इलाके में सबसे ज्यादा टी० बी० का फैलाव इन्हीं मजदूरों में है। इसके संदर्भ में आपने क्या किया है ? आपका खुद का एक

(डा० बापू कालदाते)

जवाब है जो आपने 2 नवम्बर, 1988 को, क्वेश्चन नम्बर 63, लोक सभा में दिया। जब यह पूछा गया कि उनके आरोग्य, सुरक्षा की क्या व्यवस्था आप कर सकते हैं तो आपने कहा है कि आज देश में 130 डिस्पेंसरीज़ हैं। कर्मचारी कितने हैं? कर्मचारी आपके कहने के मुताबिक और जो राज्यवार आंकड़े हैं, इसके मुताबिक 32-33 लाख कर्मचारी हैं। सारे हिन्दुस्तान में फैले कर्मचारियों के लिए आपके पास 130 डिस्पेंसरीज़ हैं और एक हास्पिटल है। वह कितने बैड्स का है? आपने खुद अपने जवाब में कहा है कि हमारा हास्पिटल 10 बैड्स का है। 32 लाख कर्मचारी, जिनकी बीमारी की यह अव्यवस्था मोस्ट अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर, बिलों पार्टी लाइन वाला सैक्शन। आपने खुद अपने जवाब में कहा है कि अब हम और 24 डिस्पेंसरीज़ को बात करते हैं। यानि 130+24=154 डिस्पेंसरीज़ हो गई सारे देश के 32 लाख मजदूरों के लिए। इस खास अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर के लिए 154 डिस्पेंसरीज़। क्या आपको नहीं लगता कि यह नहीं के बराबर है? इतनी थोड़ी सी व्यवस्था से क्या आप समझते हैं कि इन गरीबों में जो बीमारियां फैलेंगी, उनका इलाज हो सकता है? इसके लिए हम देखते हैं कि भले ही आप चाहे उनके वैलफेयर के लिए कानून बनाएं जैसे आपने 1966 का कानून बनाया और उसमें आज संशोधन कर रहे हैं। इसी प्रकार 1976 का कानून बनाया जो वैलफेयर फंड के संबंध में है, लेकिन ये सब कानून जो आप बनाते हैं वे राज्य सरकारों के द्वारा इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, उन पर अमल नहीं होता है।

इसके साथ ही शोषण की तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप शोषण की प्रक्रिया को कानूनों के जरिए से खत्म कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ऐक्सपर्टाइज आपके पास होता है, जैसे दूबे जी अनुभवी मजदूर नेता रहे हैं, और भी मजदूर नेता आपके पास होंगे जिनमें हम अपेक्षा करते है कि वे स्वयं इस बात को गहराई से देखें कि शोषण की प्रक्रिया को वे किस तरह से खत्म कर सकते हैं, उसके बारे में सोचें, लेकिन जो मैंने अनुभव खुद किया है उसका जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूं। आप जानते है कि कांट्रेक्टर और कुछ मजदूर नेताओं में सांठ-गांठ हो जाती है तो ये दोनों मिलकर मजदूरों का शोषण करते हैं। 10 परसेंट तो बीड़ी कांट्रेक्टर कम कर देता है, यानि एक हजार बीड़ियों में स्टेंडर्ड डिडक्शन 10 परसेंट का कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि मजदूर को मजदूरी भी नहीं मिली और उसकी बीड़ी भी कम हुई। दूसरी बात यह है कि जो तंबाकू और तेंदू पत्ता उसको दिया जाता है, जैसे हजार बीड़ी के लिए 240 ग्राम तंबाकू लगता है और 800 ग्राम तेंदू पत्ता लगता है, लेकिन तोल माप में घपला करके उसको कम तंबाकू या तेंदू पत्ता दिया जाता है और जब उसको सामान कम मिलता है तो उसके लिए शिकायत भी वह नहीं कर सकता है। इस ठंग से भी मजदूरों का शोषण होता है। तीसरा शोषण का रास्ता यह है कि अगर आपकी बीड़ी रिजेक्ट हो गई तो इसके माने ये हैं कि मजदूरों को पैसा भी नहीं मिला और उनकी बीड़ी भी कम हुई। पीने वाली के पास तो वह बीड़ी चली जाती है, लेकिन मजदूर को उस रिजेक्ट की हुई बीड़ी का पैसा नहीं मिलता है और मालिक अपना मुनाफा बढ़ा लेता है।

आपने कानून में संशोधन करके आइडेंटिटी कार्ड की व्यवस्था की, अच्छा किया लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट है ईश्वर प्रसाद की जिन्होंने सर्वे किया मैं उसके बारे में दो-तीन सवाल मैंने पढ़े हैं जिनका उत्तर आपने लोकसभा में दिया है,। उसमें उन्होंने कहा है कि कानून की जानकारी मजदूरों को नहीं है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मालिक शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन कानून की जानकारी नहीं होगी तो जो फायदा आइडेंटिटी कार्ड से मिलता है उसका फायदा उनको नहीं मिलेगा। तो मजदूरों को समझाने की व्यवस्था बहुत जरूरी है, ऐसा हमको लगता है।

श्रीवर्धन, एक बड़ी स्ट्राइक हुई थी आन्ध्र प्रदेश में 37 दिन तक वह मजदूर लड़ते रहे और 37 दिनों की लड़ाई के बाद जो 11 रुपए हजार बीड़ियों के उनको मिलते थे उसके बजाए उनको 12.20 रुपए मिले। 37 दिन तक हड़ताल करने के बाद 1.20 रुपए मिले। अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में लड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, आर्गनाइज्ड में तो हो सकती है। लेकिन अनआर्गनाइज्ड जैसे किसान है उनकी लड़ाई आसान नहीं है। ये ऐसे ग्रुप हैं या गुट हैं जिनको जानकारी भी नहीं है और बहुत दूर तक वे बिखरे हुए हैं। इसके लिए हमको लगता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, यह बताएं। हम आपके संकल्प से संतुष्ट हैं। लेकिन सिद्धि नहीं हो रही है इसलिए हम दुखी हैं। मैं जानता हूं आप भी दुखी होंगे। बड़े चालाक लोग हैं। हम जानते हैं वेजापुर में बीड़ी और सिगार का काम क्यों है। क्योंकि संगम नर अकोला में एडजसेंट ताल्लुका है एक हमारे मराठवाडा में होता है और दूसरे पुराने महाराष्ट्र में होता है लेकिन संगम नर अकोला में मजदूर संगठित होने लगे तो वह क्या करते थे कि 'दि शिफ्ट द प्लेस'। संगम नर फैक्टरी का काम बंद कर देते और दूसरी जगह काम शुरू करते। सारे बीड़ी वर्कर का एरिया अगर ज्योग्राफिकली देखें तो पता लगेगा कि मोस्ट बैकवर्ड एरिया में है। सिर्फ जिलों से जिलों में नहीं बल्कि राज्यों से राज्यों में चले जाते हैं। अगर नागपुर में कोशिश होगी तो मध्य प्रदेश में चले जायेंगे। एक्सप्लाएटेशन के जितने भी ढंग या रास्ते वे सोच सकते हैं वह सारे के सारे अमल में लाते हैं। इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं आपकी मंगलमय कामनाओं के संकल्प का स्वागत करता हूं। मुझे आपसे अपेक्षा है कि यह मंगलमय कामना का संकल्प सिद्धि में जायेगा। अगर जाना चाहते हैं तो इसके बारे में यह कानून किस हद तक आपकी मदद करेगा यह मैं आपसे जानना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि अगर इससे मदद नहीं होगी तो इससे कड़ा कानून लाने की आपसे गुजारिश करूंगा ताकि यह जो अनआर्गनाइज्ड सेक्टर और सबसे शोषित वर्ग के लोग हैं उनकी तरफ हम कुछ उम्मीद बना पायें और इस दिशा में प्रयास कर सकें। धन्यवाद।

श्री मुहम्मद अमीन अंसारी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बीड़ी तथा सिगार कर्मकार संशोधन विधेयक, 1987 का भरपूर समर्थन करता हूं। मान्यवर, गोदामों और भंडारों में काम करने वाले कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए। कच्ची सामग्री, बीड़ी व सिगार तैयार करने वाले कर्मचारियों और मालिकों के विवाद लेबर विवाद 81 के अनुसार सुलझाए जायें।

मान्यवर, मेरा अंदाजा है कि 30 लाख मजदूर और कर्मचारी बीड़ी और सिगार उद्योग में लगे हुए हैं। उनकी बड़ी खराब हालत है। कोई घर बीड़ी बनाने वाला ऐसा नहीं है जिसके घर में अगर पांच लोग हैं तो कोई बीमार न हो। चाहे वह टी० बी० से बीमार हो या दूसरी कोई बीमारी हो। उन पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इस उद्योग को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आज के दौर में बीड़ी और सिगार के उद्योगों को अधिक से अधिक लाभदायक बनाना जरूरी है ताकि मजदूर और कर्मचारियों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके और उनको सही मजदूरी मिल सके। मिल मालिक आजकल उनका जबर्दस्त शोषण कर रहे हैं। रेट से कम उनको पैसा देते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स रेट होता है वह उनको नहीं मिलता। अपनी कच्ची बही वाला रेट देते हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए।

आज जरूरी है कि बीड़ी और सिगार मजदूरों और कर्मचारियों की एक संस्था बने सहकारिता समितियों द्वारा ताकि इस अल्प समुदाय को ऊंचा उठाया जा सके और मिल मालिकों के शोषण से इन मजदूरों को बचाया जा सके। यह एक रास्ता उनके उत्थान के लिए जरूरी है। बीड़ी और सिगार के मजदूर और कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर खासतौर से हमको ध्यान देने की

[श्री मुहम्मद अमीन अंसारी]

जरूरत है। जैसा मैंने अभी कहा कि ज्यादा से ज्यादा अस्पताल हों और उन अस्पतालों में जरूरी है कि दवाएं हों और जो जिम्मेदार लोग है लेबर कमिश्नर वगैरह वह उनको देखें। इसका इंतजाम होना चाहिए। इन मजदूरों और कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई में मालिक दिलचस्पी लें और उनके पढ़ाने में पूरी-पूरी शिक्षा की व्यवस्था करें। उनके बच्चों को अगर ऊंची तालीम हासिल करनी है तो उनके लिए वजीफे वगैरह का इंतजाम किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रम मंत्री जी कि लेबर लीडर भी हैं, ये जो छोटे-छोटे मसले हैं उन पर ध्यान देकर कड़ाई के साथ काम करें और अब वे जो कानून बनाएंगे उस पर पूरी तरह से अमल कराने की कोशिश करेंगे।

आपको शायद पता हो, जो लोग बीड़ी बनाते हैं उनका पूरा खानदान एक कोठरी में रहता है जहां न रोशनी जाती है और न ही हवा का कोई इंतजाम होता है। शहरों में गंदी नालियों के किनारे वे बनते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इन मेहनतकश लोगों के रहने के लिए और इनके स्वास्थ्य के लिए इनके, मकानों के लिए इनकी भी कालोनियां होनी चाहिए। इनको झुग्गी-झोंड़ियों में से निकालकर के इनके लिए मकानात का इंतजाम होना चाहिए। आज हरिजन भाईयों के लिए बहुत से जिलों में मकान बनाकर छोड़ दिये गये हैं जिनमें चिड़ियां भी नहीं रहतीं है, इंसान के रहने की तो बात ही क्या है। इसलिए इन लोगों के लिए मकानों का इंतजाम होना चाहिए। खास तौर से बीड़ी और सिगार बनाने के लिए जो पत्तियां होती हैं उन पर और तम्बाकू पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वह अच्छी किस्म का तम्बाकू हो और उसमें नशीली दवा या ऐसी कोई चीज नहीं मिली हुई होनी चाहिए जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता हो, जिसके इस्तेमाल से लोग नशे के आदी हो जायें। इस तरफ कड़ाई के साथ ख्याल रखने की जरूरत है। नशे की चीजें इसमें नहीं मिलाई जानी चाहिए।

आखिर में मैं श्रम मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे वक्त पर उन्होंने यह संशोधन लाकर बहुत बड़ा कारनामा किया है। मैं फिर यह बात दोहराना चाहता हूं कि आप बीड़ी और सिगार मजदूरों और कर्मचारियों की सहकारी समितियां बनाइये ताकि बड़े-बड़े मालिकों के शोषण से इनको बचाया जा सके।

†[شری محمد امین انصاری

[اُتر پردیش] :

آپ سبھا ادھیکش مہودے - میں بیڑی تتھا سگار کرمکار سنشودھن ودھیک سنہ ۱۹۸۷ کا سمرتھن کرتا ہوں - مانیور کوداموں اور ہزاروں میں کام کرنے والے کرمچاریوں کو زیادہ سے زیادہ مزدوری ملنی چاہئے - کچی سامگری بیڑی و سگار تیار کرنے والے کرمچاریوں اور مالکوں کے دوار - لیبر ڈیوار ۸۱ کے انوسار سنچوجائے جائیں -

مانیور میرا اندازہ ہے کہ ۳۰ لاکھ مزدور اور کرمچاری بیڑی اور سگار ادیوگ میں لگے ہوئے ہیں انکی بڑی خراب حالت ہے - کوئی گھر بیڑی بنانے والا ایسا نہیں ہے جسکے گھر میں اگر پانچ لوگ ہیں تو کوئی بیمار نہ ہو - چاہئے وہ ٹی-بی سے بیمار ہو یا دوسری کوئی بیماری ہو - ان پر خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے - اس ادیوگ کو زیادہ سے زیادہ پروتساہن ملنا چاہئے - آج کے دور میں بیڑی اور سگار کے ادیوگوں کو ادھک سے

† [ ] Translitration in Arabic Script.

حاصل کرنی ہے تو ان کے لئے رہنے وغیرہ کا انتظام کیا جانا چاہئے

مجھے امید ہے کہ ہمارے شرم منتری جی جو لیبر لیڈر بھی ہیں وہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں - ان پر دھیان دیکر کارائی کے ساتھ کام کریں - اور اب وہ جو قانون بنائینگے - اس پر پوری طرح سے عمل کرانے کی کوشش کرینگے - آپکو شاید پتہ ہو - جو لوگ بیڑی سگار بناتے ہیں انکا پورا خاندان ایک کوٹھری میں رہتا ہے - جہاں نہ روشنی جاتی ہے - اور نہ ہی ہوا کا کوئی انتظام ہوتا ہے - شہروں میں گندی نالیوں کے کنارے وہ بستے ہیں - اسلئے یہ ضروری ہے کہ ان محنت کش لوگوں کے رہنے کیلئے اور انکے سواستھیہ کیلئے انکے مکانوں کیلئے انکی بھی کالونیاں ہونی چاہئے - انکو جھگی جھونپڑیوں میں سے نکال کر انکے لئے مکانات کا انتظام ہونا چاہئیے - آج ہریجن بھائیوں کے لئے بہت سے ضلعوں میں مکان بناکر چھوڑ دیئے گئے ہیں - جن میں چڑیاں بھی نہیں رہتی ہیں - انسان کے رہنے کی تو بات ہی کیا ہے - اسلئے ان لوگوں کیلئے مکان کا انتظام ہونا چاہئے - خاص طور سے بیڑی اور سگار بنانے کیلئے جو بستیاں ہوتی ہیں ان پر اور تمباکو پر دھیان دیا جانا چاہئے - وہ اچھی قسم کا تمباکو ہو اور اسکے لئے ضروری ہے - تاکہ مزدوروں اور کرمچاریوں کا جیون اتنا اونچا اٹھ سکے - اور انکو صحیح مزدوری مل سکے - مل مالک آج کل ان کا زبردست شوشن کررہے ہیں - ریٹ سے کم انکو پیسے دیتے ہیں - جو اشٹامپ گورنمنٹ کی طرف سے فکس ریٹ ہوتا ہے - وہ انکو نہیں ملتا - آپنی کچی پرچی والا ریٹ دیتے ہیں - انکو نہیں دلانا چاہئے -

آج ضروری ہے کہ بیڑی اور سگار مزدوروں اور کرمچاری کی ایک سنستھا بنے سہکارتا سنستھا دوارہ تاکہ ان الپ سہودئے کو اونچا اٹھایا جاسکے اور مل مالکوں کے شوشن سے ان مزدوروں کو بچایا جاسکے - یہ ایک راستہ انکے اتھان کیلئے ضروری ہے - بیڑی اور سگار کے مزدور اور کرمچاریوں کے سواستھیہ پر خاص طور سے ہم کو دھیان دینے کی ضرورت ہے - جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ زیادہ سے زیادہ اسپتال ہوں - اور ان ہسپتالوں میں ضروری ہے کہ دوائیں ہوں اور جو زمدار لوگ ہیں لیبر کمشنر وغیرہ وہ انکو دیکھیں - اسکا انتظام ہونا چاہئے - ان مزدوروں اور کرمچاری کے بچوں کی پڑھائی میں مالک دلچسپی لیں اور انکے پڑھانے میں پوری پوری شکشا کی ویوستھا کریں انکے بچوں کو اگر اونچی تعلیم

اسمیں نشیلی دوا یا کوئی ایسی چیز ملی ہوئی نہیں ہونی چاہئے جس سے سواستھیہ پر اثر پڑتا ہو - جسکے استعمال سے لوگ نشے کے عادی ہوجائیں - اس طرف کڑائی کے ساتھہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے- نشے کی چیزیں اسمیں نہیں ملائی جانی چاہئے -

آخر میں میں شرم مذیری جی کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ ایسے وقت پر انہوں نے یہ سنشودھن لاکر بہت بڑا کارنامہ کیا ہے - میں پھر یہ بات دوہرانا چاہتا ہوں کہ آپ بیڑی اور سگار مزدوروں اور کرمچاریوں کی سہکاری سمیتیاں بنائیں تاکہ بڑے بڑے مالکوں کے شوشن سے انکو بچایا جاسکے -]

*SHRI NARAYAN KAR (Tripura): Mr. Vice-Chairman, Sir, I support all the provisions of the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Amendment Bill, 1987 as all these provisions are meant for the welfare of the Beedi workers. But I do not think that this kind of amending Bill can solve all the problems of Beedi workers.

As you know, Sir, about forty lakh Beedi workers are working in different parts of our country. They belong to the unorganised sector of workers. There are many laws for the benefit of these workers. The Central Government takes the view that it is the responsibility of the State Governments to implement those laws. But in actual practice it has been found that the Labour Department of the State Governments are not paying much attention to the implemenation of these laws. Consequently, the Beedi workers are being deprived of many benefits to which they are entitled under the existing laws. They are being deprived of the benefits under the Minimum Wages Act. They are being compelled to accept nominal wages. They are being paid Rs. 8 or Rs. 10 as wages for their work upto 8 to 10 hours a day. Not only this, even after forty one years of independence, employers are practising discrimination against female and child Beedi workers. They are compelled to accept less wages than the male workers.

Beedi workers have no security for their jobs. Whenever they protest against injustice, they are thrown out of employment by the employers. So the Beedi Workers must be guaranteed job security.

Now let us take up the case of identity cards for the Beedi Workers. I would like to know from the Hon. Minister who is responsible for issuing identity cards to the Beedi Workers? If the question of issuing identity card is taken up by a Labour Officer in a factory, the employer takes the plea that it is not his responsibility to issue the identity card as the workers belong to the contractor. As a result of this dispute between an employer and a contractor, the workers suffer. They are deprived of various benefits which they could have received with the help of identity cards. Therefore, my submission is that the system of employing workers through contractors should be abolished. If we are really interested to benefit Beedi Workers, we must compel the employers to recruit workers directly.

In this amending Bill no provision has been made to provide pension, gratuity and provident fund benefits to the Beedi Workers. All these

*English translation of the original speech in Bengali.

benefits should be provided to them under some law.

. . . . .

State Governments have machineries to implement the laws relating to Beedi Workers. The Officers of these machineries work in collusion with the employers. The Central Labour Minister should hold meetings with State Labour Ministers and persuade them to implement various recommendations for the benefit of Beedi Workers in right earnest. If it is not done, I think, the various funds meant for the benefit of Beedi Workers will not be properly utilised.

. . . . . .

Nothing has been said in the Bill about maternity benefits for the female Beedi Workers.

The Government must bring all the Beedi Workers in the country under the protection of the Minimum Wages Act; otherwise they will continue to suffer from different rates of wages.

Dr. Bapu Kaldate has said about inadequate medical facilities for the Beedi Workers. It is true that the number of beds in hospitals for patients of tuberculosis among Beedi Workers is negligible. I demand that the beds in hospitals for patients of tuberculosis among Beedi Workers should be increased adequately. With these words, I conclude.

श्री हरि सिंह : (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इस सदन में बीड़ी एण्ड सिगार वरकर्स (कंडीशन आफ इम्पलाइमेंट) बिल, 1988 पर विचार हो रहा है। यह बिल बहुत ही उचित है और बीड़ी वरकर्स के कल्याण के लिए और उनकी स्थिति में सुधार लाने में बहुत ही सहायक होगा। यह बिल बहुत आवश्यक था। महोदय, आप जानते हैं जो कि एक छत के नीचे काम करने वाले लोग हैं, जो पहिया जाम कर सकते हैं जो हड़ताल कर सकते हैं वे तो अपनी बातों को मनवा लेते हैं। लेकिन जो अनआर्गनाइज्ड लेबर है वे अपनी शर्तों को अपनी बातों को नहीं मनवा सकता है। जब कि यह लेबर जो है वह किसी भी आर्थिक ढांचे के लिए बहुत आवश्यक है और ये जो बीड़ी वरकर्स हैं इनकी कंडीशन और भी बुरी है। अगर आप उन गलियों या बस्तियों में जाकर देखें जहां ये रहते हैं, जहां ये काम करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी बुरी दशा में रहकर उनको यह काम करना पड़ता है। यह जो बिल आया है इसके अंदर कुछ पावर इंस्पेक्टर की बढ़ायी है, सीक्रेसी की, कि वह यह नहीं बतायेगा कि किस की कंपलेंट पर जांच की जा रही है, वह उन व्यक्तियों का नाम नहीं बतायेगा। जो प्रोपराइटर होते हैं वे, जो उनकी शिकायत करता है बाद में उसको बहुत परेशान करते हैं। इससे इनको कुछ राहत मिलेगी जो कि उनकी कंप्लेंट करेंगे। लेकिन इंस्पेक्टर को थोड़ी और हाई पावर दी जानी चाहिए ताकि इन्क्वायरी करने में उसको सुविधा हो। बिल में कुछ इस तरह की पावर उसको दी जानी चाहिए ताकि जो बीड़ी बनवाने वाले लोग हैं, जो मालिक हैं उनके खिलाफ वह भरोसे की और कारगर कार्यवाही कर सके। बीड़ी वरकर्स बहुत गरीब आदमी होते है, निर्धन वर्ग के लोग होते हैं और मैं समझता हूं कि इस उद्योग में करीब 30 लाख आदमी काम करने वाले हैं और एक सूबे में नहीं बल्कि लगभग 23 सूबों में ये लोग इसके धंधे में लगे हैं। मैं इस पर बहुत तफसील से नहीं जाना चाहता, बहुत तफसील से इसका विश्लेषण नहीं करना चाहता बल्कि मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जो कि बहुत आवश्यक हैं। अगर मंत्री महोदय इनको इस वक्त बिल में शामिल नहीं कर सकते तो न करें लेकिन आगे इन बातों पर उन्हें जरूर गौर करना चाहिए। जो वरकर्स हैं उनसे मंत्री जी को प्रेम है और मुझे आशा है कि ये सुझाव उनके जीवन को सुधारने में, उनके कल्याण के लिए उपयोगी होंगे।

महोदय, पहला मेरा सजेशन यह है कि जो बीड़ी बनवाते हैं व बीड़ी का

[श्री हरि सिंह]

उसमान, पत्ता और तम्बाकू देते समय गीला करके देते हैं और जब वे बनी हुई बीड़ियों को वापस लेते हैं तो उसमें सूखा लेते हैं। जो कि लाजिमीतौर पर वजन में कम होगा। तो जब उनको उसकी मजदूरी मिलती है तो उसमें से यह कहकर उनकी मजदूरी काट देते हैं कि हमने तो इतना तम्बाकू दिया था, इतने पत्ते दिये थे, यह कम है, बीड़ी का वजन कम है और इस प्रकार उनका पैसा काट लेते हैं। इस तरह से उनका बहुत शोषण होता है। मेरा अनुरोध है कि जो बीड़ी बनाने वाले हैं, जो मालिक हैं उनका प्राफिट में से बीड़ी मजदूरों के लिये भी बोनस की व्यवस्था होनी चाहिए। यह सरकार को एक कानून बनाकर तय करना चाहिए। ठेकेदारी जैसा कि कालदाते जी ने कहा कि यह जो कांट्रेक्ट सिस्टम है इसको खत्म किया जाना चाहिए और कोआपरेटिव सोसाइटीज को दिया जाना चाहिए और जो मिडिल मैन हैं किसी भी शक्ल में उनको नहीं रहने देना चाहिए। महोदय, जो बीड़ियों की छांट होती है यह एक जगह पर होनी चाहिए। एक छांट के बाद दूसरी छांट करते हैं और फिर तीसरी छांट करते हैं। जब कि बीड़ी बेकार नहीं जाती है और मुझे पता है कि सब भारतवासी उसको पीते हैं। लेकिन इसके कारण मजदूरों के पैसे कट जाते हैं और उनका शोषण किया जाता है। मेरा एक सुझाव यह भी है उनके लिए एक वेलफेयर फेंड की स्थापना की जानी चाहिए। और हमारा जो बीड़ी वर्कर्स एक्ट है इसमें लिखा हुआ है कि एक वैल्फेयर आफिसर होगा। सेंटर की तरफ से स्पेशल डाइरेक्शन है। लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को एश्योर करना चाहिए कि वैल्फेयर आफिसर है कि नहीं है। बहुत सी जगहों में, बहुत से सूबों में, जिलों में इस तरह का प्राविजन करने वाले, देखने वाले नहीं हैं। इसलिए उनका बड़ा शोषण होता रहता है। जो वैल्फेयर फण्ड बनवाया जाये उसके लिए उनमें से लिया जाये और बीड़ी वर्कर्स के लिए जो नयी नयी स्कीमें बनायी जाती हैं इनमें वर्कर्स को भी भागीदार बनाना चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यूनिफार्म नार्म्स होने चाहिए Uniform norms for the distribution of of the raw material should be worked out. वह जो सामान दे देते हैं बीड़ी बनाने का इसमें यूनिफार्मिटी होनी चाहिए। यह नहीं कि एक मजदूर को कुछ, दूसरे को कुछ और तीसरे को कुछ दे दिया। यह जो मजदूरी का स्तर है, तनख्वाह का वेलीवेजेज का स्तर है यह भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में डिफर करता है। यह भी सब स्टेट्स में बराबर होना चाहिए। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। एक कम्पैक्ट स्टैंडिंग कमेटी का बनाया जाना बहुत जरूरी है जिससे कि वह इनके कामों को दिखवा सके। तीसरी, स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी बीड़ी बनाने के लिए होनी चाहिए क्योंकि सरकार हमेशा नो हाऊ की बात करती है, ट्रेनिंग की बात करती है। वह चरखा जिससे हम खादी कातते थे बदल गया है और आज दूसरी तरह के चरखे आ गये हैं। इसलिए मेरा मंत्री जी से कहना है कि बीड़ी बनाने की टेक्निकल नो हाऊ दें जिससे कि थोड़े वक्त में ज्यादा बीड़ी बना सकें, सफाई से बना सकें और वह तौलकर जा सके। इन्हीं सुझावों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मुझे बहुत आशा है कि एक सुनियोजित तथा कानून मंत्री जी फिर लायेंगे। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद खलीलूर रहमान (आंध्र प्रदेश). मोहतरम वाइस चेयरमैन साहब बीड़ी एण्ड सिगार वर्कर्स (कंडीशंस आफ इम्प्लायमेंट) अमेंडमेंट बिल 1987 जो पेश किया गया है मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उसका खैर मकदम करता हूं इस वजह से कि जैसा कि इसके ऑब्स एण्ड आब्जेक्ट्स में यह कहा गया है कि यह जो बिल लाया गया है वह इस इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की फलाह और बहबूदी के लिए और उनको जो सर्विस कंडीशंस हैं उनको बाजाब्ता बनाने के लिए लाया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि इस बिल

के निफाज में कुछ मुश्किलात और कुछ रुकावटें हो रही थी इसलिए उन रुकावटों और मुश्किलात को दूर करने के लिए यह अमेंडमेंट लाया गया है। यह एक अच्छी चीज इस वजह से है कि इस बिल के जरिये अब उन मजदूरों को भी जो गोदामों और वेयर हाउसेज में काम करते हैं, इसके तहत लाया गया है और फिर ये जो तरमीमात लायी गयी हैं इससे, उनके ओवरटाइम के फिगरेशन में भी मदद मिलेगी। यह भी कहा गया है कि एपीलेट कोर्ट को विटनेसेज और रिकार्ड को तलब करने के लिए इस बिल के जरिए मजाज करदाना गया है। इसके अलावा सजा के ताल्लुक से जो दफात हैं उनको भी मजबूत करने के लिए ये तरमीमात लायी जा रही हैं। चूंकि यह एक अच्छे मकसद के तहत तरमीमात लायी जा रही हैं इस वजह से जरूरत इस अमर की है कि इसका खैर मकदम किया जाये। मगर साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि बीड़ी वर्कर्स एक जमाने से नेगलेक्ट होते रहे हैं। खास तौर से कानून इम्प्लायीज प्राविडेंट फण्ड इनके लिए सन् 1977 में यानी आज से 12 साल पहले पास किया गया था मगर इतिहाई अफसोस की बात है कि किसी न किसी बहाने के जरिये उस इम्प्लायीज प्राविडेंट फण्ड कानून को नाफिज नहीं किया गया है यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कई किस्म के कुछ केसेज दाखिल किये गये हैं। मगर साथ ही साथ खुशी इस बात की है कि इन तमाम मुश्किलात को दूर करते हुए यह राह हमवार की गयी है कि इम्प्लायीज प्राविडेंट फण्ड कानून बीड़ी वर्कर्स के लिए भी नाफिज किया जाये। मैं खास तौर से हुकूमत से दरख्वास करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस इम्प्लायीज प्राविडेंट फण्ड कानून को नाफिज करें। खास तौर से वह जो मौजूदा बिल है यह 1987 में यानी तकरीबन आज से डेढ़ पौने दो साल पहले यहां पर लाया गया था। मगर बड़े अफसोस की बात है कि डेढ़ साल के बाद इस बिल पर गौर हो रहा है। मगर फिर भी दर आयद दुरुस्त आयद गौर तो हो रहा है। मुझे इस बात की पूरी तवक्को है कि यह बिल पास होने के बाद इसकी जो सही स्पिरिट है उसी के मुताबिक यह लागू किया जाएगा और खास तौर पर जो इसमें काम करने वालों को जो सहूलियतें देना चाहिएं, उसकी बेहद जरूरत है।

खास करके अस्पतालों की जो सूरते-हाल हैं, अभी जैसा कहा गया कि 83 लाख वर्कस पूरे मुल्क में इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ 130 क्लिनिक्स की गुंजाइश इस वक्त मुल्क में मौजूद है और यह कहा गया है कि आईन्दा साल और मजीद क्लिनिक खोले जायेंगे और फिर जहां तक अस्पतालों का सवाल है, सिर्फ एक अस्पताल दस बेड्स के साथ इस वक्त है।

तो आप अंदाजा लगाइये कि 83 लाख वर्कर्स के लिए यह क्लिनिक्स और यह दवाखाने इंतहाई काफी नहीं हैं जब कि खास तौर पर जब बीड़ी वर्कर्ज से यह पूछा जाता है कि दवाखानों के ताल्लुक के आपको क्या सहूलियतें है, तो वह कहते हैं कि क्लिनिक्स तो हैं, मगर इतने फासले पर हैं कि हमें बस से जाना पड़ता है और हम बस का किराया अदा नहीं कर पाते।

तो इस वजह से जरूरत इस बात की है कि दवाखानों की तादाद बढ़ाई जाए और उन मकामात पर यह क्लिनिक्स रखे जाएं जहां कि यह लोग ज्यादा तादाद में काम करते है।

इसके अलावा इनके बच्चों के लिए स्कूलों की भी बेहद अहमियत है। इस वजह से कि जब तक यह अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकेंगे, उनके बच्चे तरक्की नहीं कर सकते। इस वजह से यह बेहद जरूरी है कि उनके बच्चों को तालीम दिलाने का भी इंतजाम किया जाए।

इसके साथ ही साथ वैलफेयर फंड जो एक अहम बात है और खास तौर पर वर्किंग इंडस्ट्री में वैलफेयर फंड की बेहद अहमियत है और खास तौर से जब यह बूढ़े हो जाते है, उनकी पेंशन वगैरह का कोई इन्तजाम नहीं रहता, तो उस वक्त

यह वे फेयर फंड से इस्तफादा हासिल कर सकते हैं और वे फेयर फंड से कुछ मदद मे सकते हैं।

लिहाजा मैं हकूमते हिंद से दखास्त करूगा कि खास तौर से इनके लिए वेल्फेयर फड वगैरह का फी इंतजाम किया जाए।

फिर इससे हट कर तफरीह वगैरह रिक्रिएशन सेंटर्स इन लोगों के लिए कायम किए जाएं।

आखिर में मैं अपनी बात को खत्म करते हुए हकूमते हिंद से दखास्त करूगा कि इनके लिए, जब वह काम करते हैं तो कम से कम दूध का इंतजाम उनके लिए किया जाए, या ऐसे टानिक का इन्जाम किया जाए जिसे रोजाना वह पी सकें ताकि वह अपनी सेहत को मेनटेन कर सकें। इस वजह से कि तम्बाकू से जो घाट निकलती है उससे उनकी सेहत को नुकसान पहुचता है, कम से कम वह दूध और टानिक वगैरह से उनकी सेहत अच्छी रह सके।

इन चंद अलफाज के साथ मैं इस बिल का खैरमकदम करता हूं और मुझे जो बोलने के लिए टाइम दिया गया है उसके लिए मैं शुक्रिया करता हू।

†[شری محمد خلیل الرحمان

(اندھرا پردیش) محترم وائس چیرمین

صاحب بیڑی ایلڈ سگار ورکرس (کنڈیشنز

آف ایمپلائمینٹ) امینڈمینٹ بل سنہ ۱۹۸۷ع جو پیش کیا گیا ہے میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے اسکا خیرمقدم کرتا ہوں اس وجہ سے کہ جیسا اسکے ایمسی ایلڈ آبجیکشن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو بل لایا گیا ہے وہ اس انڈسٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کی فطع اور بہبودی کے لئے اور انکی جو سروس کنڈیشنس ہیں انکو باضابطہ بنانے کیلئے لایا گیا ہے۔ اسمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بل کے نفاذ میں کچھہ مشکلات اور کچھہ رکاوٹیں ہو رہی تھی اسلئے ان رکاوٹوں اور مشکلات کو دور کرنے کیلئے یہ امنڈمنٹ لایا گیا ہے۔ یہ ایک اچھی چیز ہے اس وجہ سے کہ اس بل کے ذریعے ان مزدوروں کو بھی جو گوداموں اور ویرہاؤسیز میں کام کرتے ہیں۔ اسکے تحت لایا گیا ہے اور بیشتر یہ جو ترمیمات لائی گئی ہیں اس سے جو انکے اوور ٹائم اور وجز وغیرہ کا فکریشن ہوتا ہے اس میں بھی مدد ملے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایپلیٹ کورٹ کو وشیشیں اور ریکارڈ کو طلب کرنے کیلئے اس بل کے زریعے انکا کردار دانا گیا ہے۔ اسکے علاوہ سزا کے تعلق سے جو درخواست ہیں انکو بھی مضبوط کرنے کیلئے یہ ترمیمات لائی جارہی ہیں۔ چونکہ یہ ایک اچھے مقصد کے تحت ترمیمات لائی جارہی

†[ ]Transliteration in Arabic script.

جو صحیح اسپرٹ ہے اس کے مطابق یہ لاگو کیا جائے گا اور خاص طور پر جو اس میں کام کرنے والوں کو جو سہولتیں دینی چاہیں - اسکی بے حد ضرورت ہے -

خاص کرکے ہسپتالوں کی جو صورتحال ہے - ابھی جیسا کہا گیا کہ ۸۳ لاکھ ورکرس پورے ملک میں اس انڈسٹری میں کام کررہے ہیں - انکے لئے صرف ۱۳۰ کلینکس کی گنجائش اس وقت ملک میں موجود ہے - اور یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ سال اور مزید کلینک کھولے جائیں گے - اور پھر جہاں تک اسپتالوں کا سوال ہے صرف ایک اسپتال دس بیڈس کے ساتھ اسوقت ہے -

تو آپ اندازہ لگائیے کہ ۸۳ لاکھ ورکر کیلئے یہ کلینکس اور یہ دواخانے انتہائی کافی نہیں ہیں جب کہ خاص طور پر جب بیڑی ورکرس سے پوچھا جاتا ہے کہ دواخانوں کے تعلق سے آپ کو کیا سہولتیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کلینک تو ہیں مگر اتنے فاصلے پر ہیں کہ ہمیں بس سے جانا پڑتا ہے اور ہم بس کا یہ کرایہ ادا نہیں کرپاتے -

ہیں - اس وجہ سے ضرورت اس امر کی ہے کہ اسکا خیر مقدم کیا جائے - مگر ساتھ ساتھ میں یہ کہونگا کہ بیڑی ورکرس ایک زمانے سے نظرانداز ہوتے رہے ہیں خاص طور سے قانون ایمپلایز پراویڈنٹ فنڈ انکے لئے سنہ ۱۹۶۰ء پہلی آج سے ۱۲ سال پہلے پاس کیا گیا تھا - مگر انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کسی نہ کسی بہانے کے ذریعے اس ایمپلائیز پراویڈنٹ فنڈ کو نافذ نہیں کیا گیا ہے - یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں کئی قسم کے کیسیز داخل کئے گئے ہیں - مگر ساتھ ہی ساتھ خوشی اس بات کی ہے کہ ان تمام مشکلات کو دور کرتے ہوئے یہ راہ ہموار کی گئی ہے کہ ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ قانون بیڑی ورکرس کیلئے بھی نافذ کیا جائے - میں خاص طور سے حکومت سے درخواست کرونگا کہ جتنی جلدی ہوسکے اس ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ قانون کو نافذ کریں - خاص طور سے یہ جو موجودہ بل ہے یہ ۱۹۸۰ء میں یعنی تقریباً آج سے ڈیڑھ پونے دو سال پہلے یہاں پر لایا گیا تھا - مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ڈیڑھ سال کے بعد اس بل پر غور ہو رہا ہے - مگر پھر بھی دیر آید درست آید—غور تو ہورہا ہے - مجھے اس بات کی پوری توقع ہے کہ یہ بل پاس ہونے کے بعد اسکی

کیا جائے - پھر اس سے ہٹ کر تعریم وغیرہ ریکویژیشن سینٹوس ان لوگوں کیلئے قائم کئے جائیں

آخر میں میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے حکومت ہند سے درخواست کرونگا کہ انکے لئے جب وہ کام کرتے ہیں تو کم سے کم دودھ کا انتظام انکے لئے کیا جائے - یا ایسے ٹانک کا انتظام کیا جائے جیسے روزانہ وہ پی سکیں تاکہ وہ اپنی صحت کو میلنٹین کرسکیں اس وجہ سے کہ تمباکو سے جو گیاس نکلتی ہے اس سے ان کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے کم سے کم دودھ اور ٹانک وغیرہ سے انکی صحت اچھی رہ سکے ان چند الفاظ کے ساتھ میں اس بل کا جیر مقدم کرتا ہوں اور مجھے جو بولنے کیلئے ٹائم دیا گیا ہے - اس کے لئے میں شکریہ - ادا کرتا ہوں -]

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं । जैसा कि मेरे विपक्ष के मित्र ने कहा कि यह बिल 20 नवम्बर, 1987 को ड्राफ्ट हुआ और आज इस सदन में चर्चा के लिए आया है । यह बड़ी ही गम्भीर

[شری محمد خلیل الرحمان]

اس تعلق سے یہ کہا گیا ہے تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ دواخانوں کی تعداد بڑھائی جائے اور ان مقامات پر یہ کلینکس رکھے جائیں جہاں کہ یہ لوگ زیادہ تعداد میں کام کرتے ہیں -

اسکےعلاوہ انکے بچوں کیلئے اسکولوں کی بھی بیحد اہمیت ہے - اس وجہ سے کہ جب تک یہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکیں گے - انکے بچے ترقی نہیں کرسکتے - اس وجہ سے یہ بیحد ضروری ہے کہ انکے بچوں کو تعلیم دلانے کا بھی انتظام کیا جائے -

اسکے ساتھ ہی ساتھ ویلفیر فنڈ

جو ایک اہم بات ہے اور خاص طور پر ورکنگ انڈسٹری میں ویلفیئر فنڈ کی بیحد اہمیت ہے - اور خاص طور سے جب یہ بوڑھے ہوجاتے ہیں - انکی پینشن وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں رہتا - تو اس وقت یہ ویلفیئر فنڈ سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں اور ویلفیئر فنڈ سے کچھ مدد لے سکتے ہیں - لہذا میں حکومت ہند سے درخواست کرونگا کہ خاص طور سے انکے لئے ویلفیئر فنڈ وغیرہ کا بھی انتظام

[श्री विट्ठलराव माधवराज जाधव]

समस्या है क्योंकि इस उद्योग में हमारे देश के 32.7 लाख लोग लगे हुए हैं, अभी मंत्री जी ने बताया ।

उसका मतलब यह है कि एक करोड़ 63 लाख लोग इस उद्योग पर आलंबित है। तो यह सारे लोग बहुत गरीब लोग है । आप जानते है कि आपके आंध्र प्रदेश और हमारे महाराष्ट्र का जो जंगली इलाका है, उसमें जो पत्ते मिलते है, उससे बीड़ी बनाने का काम करते है । मध्य प्रदेश में तो यह एक बहुत बड़ा उद्योग है और उसमें ज्यादा करके हमारी बहिनें, महिलाएं लगी हुई है और जब उनके कल्याण की समस्या हम सदन के अंदर और बाहर उठाते है, तो उससे यह साफ होता है कि हम इसके बारे में कितने सिसियर है, हम ईमानदारी से कैसे काम कर रहे है । यह इतना बड़ा उद्योग है, जैसा कि बापू कालदाते साहब ने कहा कि यह अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर का उद्योग है ।

6. P.M.

यह बिल तो काफी अच्छा है । इसने काफी अच्छे कदम उठाये है, मगर वह उठाये हुए कदम इस संसद में लाकर उसको मान्यता प्राप्त करने के लिए हमें डेढ़ साल लगा । जब कोई गरीब आदमी होता है, जो संगठित नहीं होता है, उसका जो दर्द होता है, उसकी आंखों में जो आंसू होते है वह पोंछने के लिए भी बड़े लोगों को समय नहीं मिलता, इस बिल से जाहिर होता है । इन गरीबों की समस्या हल करने के लिए देर से क्यों न हो हमारी सरकार आगे आई है, इसलिए मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं । उप सभाध्यक्ष महोदय, यह सारी बातों की तरफ तो मैं ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता लेकिन कुछ समस्यायें जरूर उठाना चाहता हूं । बीड़ी तथा सिगार क्षेत्र में कामगार बहुत गरीब है, वे सारे पावर्टी लाइन के नीचे है, वे इकोनोमिकली डिसैसड है तो इनके वेलफेयर की जो योजनाएं है, उसके लिए जो पैसा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें निर्धारित करती हैं यह पैसा कितना है और वह गरीबों की तरफ जिनके लिए वह धन निर्धारित किया है उनकी तरफ कितना जाता है, यह एक खोज की बात है । इसके बारे में इन्क्वायरी होनी चाहिए । दूसरी बात यह है कि आप कहीं भी जाइये, बीड़ी उद्योग में जाइये, पत्ते जमा करने वाले उद्योग में जाइये, सिगार उद्योग मे जाइये, सिगरेट में जाइये, ज्यादा करके 90 परसेंट महिलाएं काम करती हैं और जब महिलाओं के विकास की समस्या की बात आती है तो हम बहुत बड़ी-बड़ी बातें बनाते हैं । चाहे विपक्ष के लोग हों या हमारे पक्ष के लोग हों। मगर जो रात-दिन काम करते है, मेहनत-मजदूरी करते है, खून-पसीना एक करते है उनको कितनी मजदूरी मिलती है ? जैसा कि अभी बताया 10-12 रुपये मिलते है एक हजार बीड़ी बांधने के बाद । क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह 10-12 रूपये में किसी का गुजारा हो सकता है । 10-12 रूपये में आज का जो प्राईस इंडेक्स है और बढ़ती हुई कीमतों को मद्देनजर रखते हुए हम मंत्री महोदय से जानना चाहते है कि 10-12 रुपये का तो एक आदमी काम नहीं कर सकता फिर भी 4-5 रुपये मजदूरी लेने वाली महिला कैसे गुजारा कर सकती है ? इसके बारे में गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी है । उप सभाध्यक्ष महोदय इस साल भी और हर साल में भी जो कुछ एक्साइज बढ़ती है तो वह सिगरेट पर बढ़ती है और तम्बाकू पर बढ़ती है मगर जो बढ़ता हुआ रेवेन्यू जो उस उद्योग में से आता है, जो पैसा बसूल होता है उसका कितना हिस्सा वहां काम करने वाले कर्मचारियों की तरफ जाता है, इसको भी ध्यान में रखना मैं बहुत जरूरी समझता हूं ? उसके साथ मैं जो सुविधा उद्योग देना चाहते है, जैसा हमारे मित्र ने उठाया यह सारा धन यह सारा पैसा कांट्रैक्टर की तरफ जाता है । यह जो हमारे देश में निगमन एजेंसी है हर उद्योग में जो बैठे हुए दलाल है, हमारी मराठी में बोलते है आरीकल शुक्राचार्य,

वह पानी झारी में से बाहर आने ही नहीं देते और शुक्राचार्य बोलते है जो आप खाने नहीं दूसरों को खाने देते नहीं और खुद सारा इस्तेमाल करते है इन लोगों को वहां से उठाकर हटाना बहुत जरूरी चीज है । यह जजो मिडलमैन एजेंसी है उससे पूरी तरह से निपटा जाए । जैसा मैं भी कहना चाहता हूं मैं उस प्रदेश से आता है जहां कोआपरेटिव मूवमेंटस बहुत बड़े पैमाने पर चलती है, चाहे लेबर सोसायटीज हो, चाहे कोआपरेटिव सोसायटीज शूगर फैक्ट्रीज की हों, चाहे मार्केटिंग सोसायटीज की हों, तो वैसे ही अगर कांट्रैक्टर्स को हटाना है तो यह कामगारों की या वहां काम करने वाले वाले मजदूरों की कोआपरेटिव सोसायटी बनाइये, और मजदूरों को उस उद्योग का मालिक बनाइये । जब तक मजदूर उद्योग का मालिक नहीं होता है तब तक उस उद्योग को आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता है । नहीं तो कामगारों को ऐसा लगता है, कैसा लगता है, मैं एक शेर से अपना भाषण समाप्त करता हूं :

झील में चांद नज़र आये, थी हसरत उसकी,

कब से आंखों में लिए बैठा हूं सूरत उसकी,

एक दिन मेरे किनारों में सिमट जायेगी,

गहरे पानी की यह खामोश मोहब्बत उसकी ।

बंद मुठ्ठी की तरह वह कभी खुलता ही नहीं,

फांसले और बढ़ा देती है गुरबत उसकी ।

कहीं ऐसा न हो जाए ? इस शेर के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

SHRI ALADI ARUNA alias V. ARUNACHALAM (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset, I would like to extend my support to the Bill. The intention and the objective of the Bill are laudable and we welcome this Bill. The parent Bill passed in 1966 failed to meet the aspirations of the beedi workers and the needs of the employees and, therefore, the present amendment has been proposed for consideration of this House. It is needless to explain that the beedi workers belong to the unorganised sector like farmers and handloom weavers. But in the case of farmers and handloom weavers, they are able to put some pressure to get their due. The beedi workers, however, are not in a position to pressurise their employers for the implementation of whatever schemes, laws and orders formulated and passed by the Government.

The hon. Minister said in the beginning that there are nearly thirty-three lakh beedi workers in our country. I would like to point out that out of these thirty-three lakh beedi workers, seven lakh beedi workers are in Tamil Nadu. I would like to point out further that I come from a district, namely, Tirunelveli District, where there are more than three lakh beedi workers. Therefore, this is the only district which is having more beedi workers than any other district in our country. At the same time, most of the beedi workers in my district are women. They are unorganised. More than that, they are women. Since they are women, they are not in a position to get the benefit of the facilities provided by the Government.

[The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai) in the Chair]

The beedi workers work under two systems. One is the contract system and another is direct employment. But there is no difference in the two systems as far as the beedi workers are concerned. Exploitation is very high in the contract system. The condition of the beedi workers is also

[Shri Aladi Aruna alias V. Arunachalam]

not good where they are employed directly. There also exploitation is there. The difference is only in degree. Exploitation is prevailing in both the systems.

I would like to draw the attention of the House that since most of the workers are unorganised and are women in my district, they are not able to get even the minimum wage, whatever is fixed by the Government. To get the minimum wage, they have to fight. But they are not in a position to succeed in the fight. This is because the trade unions are not effective in this sector. Since most of the workers are women, they are not prepared to enroll their names with any trade union. If we organise any demonstration, they do not come forward. When they come forward, the owner or the employer will close down the unit. The women will then abuse us that we have spoiled even the little they were getting. They will argue in that way. As I said, exploitation is very high among the beedi workers in my district I convened two conferences. With the support of the Government, I have been able to do something for the welfare of the beedi workers. But I admit frankly that I have not succeeded in my attempts because of the inherent defects in the industry.

Government have introduced many schemes like build your own house scheme, dispensary scheme, insurance scheme etc. There are many schemes. But you ponder over the question, whether these schemes have been implemented and whether the beedi workers have got the benefit of these schemes. I do not find fault with the Government. But they have no effective agency to implement these schemes. For instance, most of the workers in my district are women. But in the muster roll, if you go through the names, you find that they are names of men; the name of the husband or brother or father. Why? Otherwise, they will have to give leave to the women workers. They will have to give the maternity benefit to them. Of course, it is paid by the Government but even this they are not prepared to hand over to the workers. They will also have to keep accounts. That is why, to avoid all these things, they give the names of men. If unmarried, father's name. If married, husband's name. Actually, neither the father nor the husband is quite unaware as to how the beedi should be rolled. They do not know anything. But the accounts are in their names. We have been repeatedly asking the Government. The Supreme Court gave a ruling that enrolment of the beedi worker's na me in the muster rolls may be in the name of father or brother, it is not harmful to the workers. This is an unfortunate ruling but the Government has not preferred to move any amendment to the Act to set aside the ruling or passed any law by which beedi owners should put the names of workers in a proper manner. Enrolment of the real name of the worker should be there.

Then, Sir, beedi workers are illiterate. They do not know even their own mother tongue language. In contract system no employer is keeping PF accounts in a proper manner. The PF amount is deducated from the salary of a worker but he does not know what is the contribution from the employer. He does not know anything. I have been repeatedly asking the State Government and other officers to issue them a book so that they could see the amount, what they have paid, what contribution has come from the employer, how much he can get as loan. But nothing is done. Sometimes unmarried girls get married, they go to other villages, they do not know how much PF amount is there in their accounts. Therefore, I appeal to the hon. Minister to devise a method, find out a system so that all the workers could come to know about their account.

Sir, in Tirunelveli district alone there are more than three lakh beedi workers but there is no regional employment office. It is located in Madurai which is hundred miles away from Tirunelveli district. How can the workers verify their accounts? They are not able to get anything. So many laws are enacted but they are not implemented. Government is not at all having an effective agency. So, I appeal that a regional employment office be opened at Tirunelveli since there are more than 3 lakh beedi workers there in that district.

There is one more thing. Most of the beedi workers are ladies, who are unorganised. They need the support of the Centre and the State. It is quite natural on the part of the employer to exploit lady workers. So, every one year or six months there should be a seminar to sort out their problems. The workers may be asked to bring their problems and the Government officials, Government machinery must come to their help. At least we can implement Minimum Wages Act, nothing more than that. In our area a notification was issued. During the Governor's rule this notification remained unconfirmed. Of course, the present Government has given confirmation to the earlier notification. I thank the present Government, but the point is that cooperation from the State Government is essential to protect the interest of the beedi workers.

Then there are so many schemes. There are so many housing schemes. You are having so much of welfare fund. You are having crores of rupees. You formulate the scheme but place before the State Government with certain stipulations and conditions. Because of those conditions the schemes are not implemented. You have come forward with a housing scheme, but you say that 50 per sent subsidy should come from the State Government. Due to this condition, they are not implementing the housing scheme. So, even though the money is available with you, you are not implementing the scheme.

You must find out the real and practical difficulties, adopt a liberal policy and create an effective agency to protect the rights and privileges of the beedi workers.

With these words I conclude.

श्री नरेश सी. पुगलिया (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मजदूर मंत्री जी ने बीड़ी तथा सिगार कर्मकार संशोधन विधेयक 1987 जो लाया है, इसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मजदूर मंत्री पिछले 40 वर्ष से कामगार क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनका अनुभव देखते हुए हम उम्मीद करेंगे कि बीड़ी तथा सिगार क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जो एडमेंडमैंट बिल आया है इसका जल्द से जल्द फायदा हिन्दुस्तान में काम करने वाले लाखों मजदूरों को जरूर मिलेगा ?

उप सभाध्यक्ष महोदय, इस बिल के माध्यम से हमारे कामगार भाइयों को जो कि बीड़ी तथा सिगार बनाने का काम करते है, चाहे वह शिशु कक्ष की बात हो, चाहे अतिकालिक काम के लिए मजदूरी हो या साप्ताहिक छुट्टी की बात हो या इन्सपैक्टर की बात नहीं मानने पर उसको तीन महीने की सजा हो, इस प्रकार से कई एमेंडमैंट मजदूर मंत्री जी ने इस बिल के माध्यम से लाए है, इनका मैं स्वागत करता हूं ।

उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, महाराष्ट्र से और खास कर के महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में बीड़ी पत्ते का, तेंदु पत्ते का खास तौर से निर्माण होता है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तेंदु पत्ते के लिए एक परिचित राज्य है और चूंकि तेंदू पत्ता होता है, इस कारण बीड़ी का निर्माण भी हमारे महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में और देश के और कोनों में बड़े पैमाने

[श्री नरेश सी० पुगलिया]

पर होता है। देखने को हम देखते हैं कि बीड़ी सिगार एक छोटी सी बात है लेकिन इसमें अरबो-खरबों की उथल-पुथल होती है। करोड़ों की बीड़ी का निर्यात होता है। लेकिन इस बीड़ी के बंद काम करने वाले हमारे कारीगर बाई और खादिर के इस क्षेत्र में महिलाएं ज्यादा पैमाने पर काम करती हैं और वे सब असंगठित है और असंगठित होने की वजह से उनकी आवाज न राज्य सरकार सुनती है न केन्द्र सरकार सुनती है मुझे उम्मीद है कि यह बिल पास होने के बाद इसका सख्ती से जरूर पालन होगा। जिस देश में लाखों लोग इस बीड़ी के क्षेत्र में काम करते है, न उनको ओवर टाइम की सुविधा है, न उनको मेडिकल फेसिलिटी है। उनका प्रोविडेन्ट फण्ड अगर काटा गया है तो न उनका हिस्सा उन्हें वापिस किया गया, न उन्हें हाउसिंग की कोई फेसिलिटी दी जाती है। इस प्रकार से हर क्षेत्र में हमारे बीड़ी कामगारों के साथ अन्याय होता है और यह हमारे लिए बड़े दुख की बात है।

उप सभाध्यक्ष महोदय, बीड़ी उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग होने के बावजूद भी इसमें कान्ट्रेक्ट बेसिज पर हमारे उद्योगपति काम लेते है। जो हमारे तेंदू पत्ते के व्यापारी है उनसे तेंदु पत्ता लिया, जो तम्बाकू के व्यापारी है उनसे तम्बाकू लिया और तेंदु पत्ता और तम्बाकू हमारे बीड़ी कामगारों को दे दिया जाता है तो अपने घर में बैठकर के वह बीड़ी बनाते हैं और दे आते है। इस प्रकार से 80-90 परसेंट यह काम सारे देश में कान्ट्रेक्ट बेसिज पर चल रहा है और इस कारण सेन्ट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स, इन्कम टैक्स की करोड़ों रुपयों की चोरी निर्माता कर रहे हैं। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है क्योंकि सारे देश में इतने बड़े उद्योग को कान्ट्रेक्ट बेसिज पर चालू करने के लिए उन्होंने ही इजाजत दी है। मैं मंत्री महोदय से यह मांग करूंगा कि जिस प्रकर से आपने सारे देश में कान्ट्रेक्ट सिस्टम को एबालिश करने के लिए जो एक्ट लाए है, इसका इनपर भी बंधन होना चाहिए और जो भी बीड़ी उद्योगपति हैं उनको अपने प्रीमिसिस में ही बीड़ी का निर्माण करना चाहिए और जितनी बीड़ी बनती है उनके मजदूरों को परमानेंट बेसिज से ट्रीट करना चाहिए। देश के हर भाग में अलग-अलग भाव से उनको रेट दिया जाता है। कहीं 8 रुपए, हजार कहीं, 2 हजार रुपए कहीं 4 रुपए हजार इसलिए इस प्रकार से इसमें बहुत बड़ी अनियमितता हैं। इसलिए बीड़ी उद्योग के प्रीमिसिस में ही काम करना चाहिए। दूसरे अगर सरकार की ओर से बंधन लगाया जाता है तो उन्हें एक ही प्रीमिसिस में काम लेना होगा। हमारी 90 परसेंट महिलाएं, जो इस उद्योग में काम करती है उनको सुबह 8 बजे से रात के 6 बजे तक 10-10, 12-12 घंटे तक काम करने पर 8 या 10 रुपए ही रोजी मिलती है। यह बड़े शर्म की बात है। मिनिमम वेज के बारे में हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनको मिनिमम वेज भी नहीं मिलता है। यह बात सच है कि 10 या 12 घंटे तक काम करने के बाद भी अगर 8 या 10 रुपए मजदूरी वह महिला नहीं कमा सकेगी इसमें भी मजदूर मंत्री जी गंभीरता से सोचेंगे।

दूसरी बात यह है कि जो 6 साल से नीचे के बच्चे है उनके लिए आपने शिशु कक्ष की व्यवस्था की है लेकिन इसके साथ ही जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको बालक मंदिर या प्राइमरी स्कूलों में बीड़ी उद्योग के माध्यम से ऐडमिशन दिलाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब जब बीड़ी कर्मचारियों ने आंदोलन किया, देश के किसी भी कोने में हों, नागपुर में डेढ़ लाख मजदूरों ने रैली निकाली, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि भंडारा के उद्योगपतियों ने नागपुर के उद्योगपतियों ने बीड़ी उद्योग को 6 महीने के लिए बंद कर दिया और

राज्य के दूसरे कोने में जाकर अपना उद्योग लगा दिया। अगर बीड़ी कामगार संगठित होकर अपनी आवाज उठाते है तो उद्योगपति अपना कारोबार बंद कर देते है। सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नही हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आवाज उठाई तो उद्योग बंद हो जाएगा। 6 से 12 महीने तक भूखे मरते है तो कहते है कि 10 के बजाए 5 रुपए दे दो। इस प्रकार से बीड़ी कामगारों को जो कठिनाई हो रही है उसको कड़ाई से निपटना होगा।

एक और चीज मैं मजदूर मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। 1977 में प्राविडंड फंड ऐक्ट लागू हुआ और मालिकों के पास लगभग 40 करोड़ रुपए कामगारों के शेयर का बीड़ी उद्योगपतियों ने काट लिया लेकिन उनका हिस्सा काटने के बाद अपना हिस्सा उसमें नही मिलाया। बीड़ी कामगारों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि प्राविडंड फंड की रकम लौटाएं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी केन्द्र सरकार ने उनको स्टे दे दिया है और उसके लिए उसने इंस्टालमेंट मांगी है। मैं मजदूर मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कामगारों को जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी वे मजदूरों का पैसा नहीं दे रहे है, उनके साथ सख्ती से निपटने के लिए काम करे। उनको पैसा लौटाना चाहिए। प्राविडंड फंड के बारे में जो आइडेंटिटी कार्ड का आपने प्रावधान किया है, उसका क्या आप पता लगा पाए है कि कितनी उनकी रकम है जो उनको लौटानी है और उन्होंने जो इंस्टालमेंट मांगें है उनको इंस्टालमेंट न देते हुए यह रकम मजदूरों को लौटाने की केन्द्र सरकार को कोशिश करनी चाहिए।

महोदय, बीड़ी उद्योग अगर कोआपरेटिव सैक्टर में चालू होता तो जो तेंदु पत्ता या तंबाकू उनको कांट्रेक्ट बेसिस पर देते है उसका पैसा सही मिलेगा। केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों से परामर्श करके अगर कोआपरेटिव सैक्टर में इसको चला सके तो हमारे कामगार छोटे-छोटे कोआपरेटिव बना कर बीड़ियों का निर्माण कर सकते है और उनको करोड़ो का मुनाफा हो सकता है जो इस समय उद्योग पतियों को हो रहा है। वह पैसा मजदूरों की जेब में जा सकेगा. इसके लिए भी सरकार सीरियसली सोचे।

महोदय, इसके साथ ही कई बीड़ी इंडस्ट्रीज में बोनस का प्राविजन होने के बाद भी वे बोनस नहीं देते हैं। कई लोग इसमें बोनस देते हैं और कई घाटा दिखाते हैं। इसलिए बोनस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए मंत्री जी ध्यान दें। विशेषकर कांट्रेक्ट लेबर सिस्टम अबोलिश करके बीड़ी कामगारों को परमेनेंट वर्कर का दर्जा दिलाने के लिए सरकार ऐक्ट बनाए।

इतना सी निवेदन करते हुए मैं विनती करूंगा कि जो बिल मजदूरों के लिए, बीड़ी कामगारों के लिए आप लाए हैं इससे उनकी रक्षा होगी। मैं मजदूर मंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हू। धन्यवाद।

श्री बिन्देश्वरी दुबे महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने बिल का स्वागत किया है और जो संशोधन मैंने रखे हैं उनसे उन्हे लगा है कि इस संशोधन के माध्यम से जो बीड़ी वर्कर्स की कंडीशंस आफ इंप्लायमेंट ऐक्ट के प्रावधान हैं, उनका कार्यान्वयन ठीक तरह से हो सकेगा। माननीय सदस्यों ने बीड़ी उद्योग में लगे हुए मजदूरों के शोषण के सम्बन्ध में चिन्ता जाहिर की है और सरकार को भी इसकी चिंता है। उनके शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से ही 1966 में बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशंस आफ एम्पलायमेंट एक्ट बनाया गया और बाद में ऐसा महसूस हुआ कि उसका कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा है। कार्यान्वयन में कुछ कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को दृष्टि

[श्री बिन्देश्वरी दुबे]

में रखते हुए यह संशोधन लाया गया है।

आमतौर पर संगठित श्रमिकों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है। असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए जैसे-जैसे सम्भव हो पा रहा है कानून के माध्यम से हम उनके हितों की रक्षा की दिशा में कदम उठा रहे हैं। इस बिल पर बोलने के क्रम में बहुत से माननीय सदस्यों ने कई सारे स्पेसिफिक केसेज दिये हैं खास-खास जगहों के और बहुत अच्छे सुझाव भी दिये हैं। जो कई विशेष स्थानों की शिकायतें उन्होंने दी हैं उसकी तो मैं छानबीन कराऊंगा और उनके सुझावों पर भी अमल करूंगा। लेकिन कुछ बातों की चर्चा हुई हैं जिसका उत्तर देना मैं आवश्यक समझता हूं। जैसे बापू कालदाते जी ने कहा बीड़ी पत्ता देने में, तम्बाकू देने में और बीड़ी छांट में बहुत मनमानापन हुआ करता है और सामान्यतः 10 परसेंट तक बीड़ी में छांट में एम्प्लायर्स करते हैं किसी न किसी बहाने और उससे उनको बहुत हानि पहुचती है। वैसे जो कानून में प्रावधान है उसके मुताबिक मैन्युफैक्चरर बीड़ी में ढाई प्रतिशत से ज्यादा रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसमें यह भी प्रावधान है कि विशेष परिस्थितियों में 5 प्रतिशत तक कर सकता है लेकिन उसके लिए उनको लिखित कारण बताना होगा। यह बात सही है कि इसमें धांधली होती है और इसी धांधली को रोकने के लिए ही तो इस बिल में संशोधित प्रोविजन किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स नियम बनाकर एक एपिलेट अथारिटी नियुक्त करेगी। उस अथारिटी को यह शक्ति प्रदान की जायेगी कि एक निर्धारित समय के भीतर इस तरह की शिकायतों के सम्बन्ध में बीड़ी पत्ता देने के सम्बन्ध में या जो प्रेस्क्राइब प्लेसेज है उसके बाहर ले जाकर बीड़ी को जो धोते हैं, बनाते हैं, सुखाते हैं, तम्बाकू देने के सम्बन्ध में उसकी क्वांटिटी ठीक दी गयी या नहीं, बीड़ी बनाकर लाते हैं उसमें छांट की गई है उसमें धांधली है या नहीं, इन बातों की शिकायतों के लिए निर्धारित समय के भीतर वह एपिलेट अथारिटी फैसला करेगी। उस फैसले को मानना पड़ेगा। अपीलेट अथोरिटी को सिविल कोर्ट की पावर दी गई है ताकि विटनैस को, डाकुमेंट्स वगैरह को काल-फार कर सके। और बीड़ी मजदूरों को उचित न्याय दिला सकें और कानून का उल्लंघन करने वाले इम्प्लायर्स को दण्डित करे। ऐसा महसूस किया गया है कि इन्स्पेक्टरों को पूरी शक्ति प्रदत्त न होने की वजह से बीड़ी उद्योग के मालिक उनको डाकुमेंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। उसके जो प्रोपर प्रोफार्मा वगैरह हैं उसको मेंटेन नहीं करते है और नाना प्रकार के हीला-हवाला करते है। इसीलिए इस एमेंडिंग बिल में इस बात का प्रावधान किया गया है कि कोई बीड़ी बनाने वाला मालिक, इस्पेक्टर को जिस तरह के डाकुमेंट वह मांगे या कागज या प्रोफार्मा वगैरह, लायसेंस लेते वक्त जो प्रेसक्राइब किये गये थे वे प्रोड्यूस न करे, तो पहले से ज्यादा सजा बढ़ा दी गई है, उसके पैनल्टी प्रोविजन्स और भी स्ट्रीजन्ट कर दिये गये हैं, अगर वे इस्पेक्टर को मांगने पर इंकार करें या हीला-हवाला करें। पहले से ऐसा भी होता था कि जो कोई मजदूर शिकायत करता था तो शिकायत करने वाले मजदूर को बीड़ी इस्टेब्लिसमेंट के जो मालिक होते थे वे निकाल दिया करते थे। इसलिए आई०एल०ओ० कंवेंसेशन के अनुकूल इसका भी प्रावधान इस बिल में किया गया है कि शिकायत करने वाले के संबंध में इंस्पेक्टर गोपनीयता बरतेंगे। किस सूत्र से उनको शिकायत मिली, इसको गोपनीय रखेंगे।

महोदय, बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के संबंध में चर्चा हुई। माननीय सदस्यों को मालूम है कि बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए सेस का एक कानून है और प्रति हजार बीड़ी पर 30 पैसे सेस के लिए जाते हैं। उसका एक वेलफेयर फण्ड बनाया गया है। उस वेलफेयर फण्ड से नाना तरह की सुविधाएं, शैक्षणिक और चिकित्सा की सुविधायें बीड़ी का काम करने वाले मजदूरों को दी जाती हैं और हाउसिंग की भी सुविधा दी जाती है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): यह 30 पैसे क सेस कब से किया है?

SHRI ALADI ARUNA alias V. ARUNACHALAM: What is the accumulation of the Welfare Fund?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): It is increasing.

श्री बिंदेश्वरी दुबे: अभी बताता हूं। जो चिकित्सा की सुविधा दी गई है उसमें 130 मोबाइल डिस्पेंसरियां है और 24 और सेंक्शन की गई हैं। टी०बी० के लिए जो होस्पिटल्स हैं वे पर्याप्त नहीं हैं, यह बात सही है। वे अपर्याप्त हैं। लेकिन बीड़ी का काम करने वाले मजदूर इतने बिखरे हुए हैं कि सभी जगह उनके लिए चिकित्सा की सुविधा करना संभव नहीं है। जहां पर वे कंसंट्रेटेड हैं वहां तो बाधा नहीं हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर राज्य सरकारों की जो चिकित्सा सुविधा है उस पर उनको निर्भर रहना पड़ता है। फिर भी हम मानते है कि चिकित्सा सुविधाओं को और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं और खास-खास जगहों के लिए जहां विशेष कंसंट्रेशन है वहां बीड़ी मजदूरों के लिए चिकित्सा सुविधायें और बढ़ाई जायेंगी। कहा गया है कि बीड़ी का काम करने वाले मजदूरों में टी०बी० की बहुत सारी शिकायत हो जाती है। उसके लिए हम उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। मैंने यह निर्णय भी लिया है कि कम से कम आगे आने वाले दिनों में और आगे आने वाले वर्षों में क्रमशः, एक साथ तो संभव नहीं हो सकता, जो बीड़ी के बड़े बड़े केन्द्र हैं उन बड़े केन्द्रों में टी०बी० के अस्पताल खोले जायें। उसके लिये भी हम बीड़ी वेल फेयर फंड में प्राविजन करने जा रहे हैं। इस संबंध में मैंने अपने अधिकारियों से बातचीत की है और इस वर्ष हम यह निर्णय लेंगे कि वहां कहां पर वैसे अस्पताल खोले जायें। लेकिन अभी तक जो सुविधा उनको चिकित्सा की है, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है तो टी०बी० के जो अस्पताल है वहां उनके लिये बेड्स रिजर्व करके रखे जहां उनको 9 महीनों तक मुफ्त इलाज की सुविधा होती है। जब वे इलाज में होते हैं, अगर एक से ज्यादा उन के आश्रित हैं तो उनको 150 रुपया और अगर एक आश्रित है तो 100 रुपया सब्सिसटेंस अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा उनको खाने के लिए डाइट चार्ज के रूप में 8 रुपया प्रति दिन दिया जाता है। इसके अलावा अगर बीड़ी मजदूर को आंख की शिकायत है तो उसको चश्मे के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, लेप्रोसी के लिए रिलीफ देते हैं। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के लिए जो टी०बी० से सफर करते हैं मजदूर, उनके लिए वेल फेयर फंड से सहायता दी जाती है। 50 रुपये प्रति महीने हर एक वरकर को उसकी मेडिसिन की कास्ट को कवर करने के लिए, अधिक से अधिक 150 रुपये तक, सब्सिसटेंस अलाउंस दिया जाता है, डोमिसिल ट्रीटमेंट के लिए। जो मानसिक रोग से पीड़ित बीड़ी के मजदूर होते हैं उनको एडमिशन के लिए 60 रुपये मासिक दिया जाता है और मेंटल हास्पिटल में अगर वे भर्ती होना चाहते हैं तो उनके लिये बेड रिजर्वेशन किया जाता है और पर पेशेंट उनको प्रतिमाह जो ग्रेड थ्री इंडिपेंडेंट कैटेगरी के बेड्स हैं, उसकी सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा उसको सब्सिसटेंस अलाउंस 50 रुपये दिया जाता है और उनके लिए भी डाइट चार्ज की व्यवस्था की गई है। महोदय, इसी तरह से बीड़ी के काम में लगी हुई महिलाओं के लिए मैटेनरी बेनीफिटस भी दिया जाता है, 250 रुपया प्रति डिलीवरी, दो डिलीवरी तक। उनके लिये ग्रुप इंश्योरेंस की भी व्यवस्था की गई है। अगर कोआपरेटिव सोसाइटी उनकी कोई बने तो एल० आई० सी० को कोआपरेटिव सोसाइटीज जो

प्रीमियम देती है, उनकी तरफ से उसका 50 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में बीड़ी वरकर्स फंड से दिया जाता है। बीड़ी में काम करने वाले मजदूर अगर अपना घर बनायें तो उनको घर बनाने के लिए 6 हजार रुपया लोन और 1 हजार रुपया सब्सिडी दी जाती है। यह लोन उनसे नौ सालों में मंथली इंस्टालमेंट में आहिस्ता आहिस्ता लिया जाता है। इसी तरह से राज्य सरकारें जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए मकान बनाती है और अगर वे बीड़ी मजदूर हैं और उन मकानों को एयरमार्क कर दें तो राज्य सरकारोंको भी वैसे प्रत्येक मकान के लिए जो बीड़ी वरकर के लिए एयर मार्क किया गया है, एक हजार रुपये डेवलपमेंट चार्ज जमीन के लिये और 5 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह से अगर बीड़ी मजदूरों की कोआपरेटिव सोसाइटी वर्कशाप और गोदाम बनाना चाहे तो उनको 75 हजार रुपये तक ग्रांट दी जाती है अगर वे 25 प्रतिशत पूरी कंस्ट्रक्शन कास्ट देने को तैयार है तो पूरे कंस्ट्रक्शन कास्ट का 75 प्रतिशत दिया जाता है सबजेक्ट टु दि मैक्सिमम 75 थाउजेंड। इसी तरह से शिक्षा के लिए भी व्यवस्था की गई है। बीड़ी मजदूरों के जो आश्रित होते हैं उनको स्कालरशिप दिया जाता है। पांचवी क्लास से लेकर ऊपर की पढ़ाई तक, 15 रुपये से लेकर 200 रुपये महीने तक दिया जाता है। अगर वह हायर एजुकेशन भी ले रहा हो, टेक्नीकल कोर्स कर रहा हो तो उसके लिये भी स्कालरशिप दिया जाता हैं। जो क्लास 1 और 2 में बीड़ी श्रमिकों के बच्चे पढ़ते है उनको 50 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से यूनिफार्म वगैरह का भी कास्ट दिया जाता है। जहां बीड़ी मजदूरों का कोआपरेटिव है उस कोआपरेटिव को 10 हजार रुपये ग्रांट इन एंड दी जाती है एक टी.वी. सेट खरीदने के लिए। इसी तरह से स्पोर्टस और गेम्स वगैरह आर्गेनाइज करने के लिए उनको 3 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। हालोडे होम्स स्कीम्स उनके लिए पूरी में है जहां 10 रुपये प्रति दिन के हिसाब से उनको डेली एलाउंस दिया जाता है। ये सारी सुविधायें उनको प्राप्त हैं। लेकिन जैसा कि एक माननीय सदस्य श्री अलादी जी ने कहा और ठीक ही कहा कि जो भी सुविधाये अभी तक बीड़ी श्रमिकों को प्राप्त हैं उनको उन सुविधाओं की भी जानकारी नहीं है। हाल ही में महोदय मैं मुर्शिदाबाद गया हुआ था, दो तीन मीटिंग मैंने की और मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ, यद्यपि मैं मानता हूं कि सुविधायें अभी और मिलनी चाहिएं लेकिन जो सुविधायें प्राप्त है उनको उनकी जानकारी भी नहीं है और जब मैंने सारी सुविधाओं की उनसे चर्चा की तो वे बड़े प्रसन्न हुए। मैंने डाइरेक्टर जनरल लेबर वैल्फेयर को इस बात के लिए हिदायत दी कि बीड़ी श्रमिकों को जितनी भी सुविधायें दी जा रही हैं उनके संबंध में एक बुकलेट बनायें और उसका व्यापक प्रचार किया जाये। वैल्फेयर फंड से लोगों को सुविधायें दी जायें, जो चिकित्सालय चलते हैं उनकी देखभाल हो जो स्कालरशिप वगैरह की एप्लीकेशंस हैं उनको ठीक तरह से स्क्रीन करके ग्रांट दी जाये। इसके अलावा हमारे वैल्फेयर कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं। यह बात सही है कि उतने पर्याप्त नहीं हैं जितनी अपेक्षा की जाती है लेकिन उनको हम पर्याप्त बनायेंगे ताकि ये सुविधाएं उन तक पहुंच सकें। इसकी पूरी कोशिश हमारी तरफ से की जायेगी। जैसा माननीय सदस्य अलादी जी ने कहा, यह बात सही है कि कुछ जगहों में जो रीजनल प्राविडेंट फंड कमिश्नर्स के आफिसेज हैं वे बीड़ी के मुख्य सेंटर्स में हैं जैसे मदुराई की चर्चा की, मदुराई से त्रिवेन्द्रम को देखते हैं, या किसी और स्थान की भी चर्चा की तो मैंने पता किया। मैं मदुराई गया था। मुझे खुद ही लगा कि इस बात की आवश्यता है कि और भी कुछ आफिसेज या सब रीजनल आफिसेज बढ़ाये जायें जहां आसानी से बीड़ी श्रमिकों को जो सुविधाये प्राप्त हैं या जो सुविधायें प्राप्त नहीं होती हैं जिनके लिए उनको शिकायत करने आना पड़ता है, वे सब सुविधायें उनको प्रदान कर सकें। उसके लिए हम लोगों ने जो

कमेटी बनायी है वह कमेटी नार्म्स डिसाइड कर रही है और उन नार्म्स के मुताबिक रीजनल और सब रीजनल आफिसेज जगह जगह पर बनाये जायेंगे । महोदय, जो बातें उठायी गयी हैं मैंने उन सब की संक्षिप्त में चर्चा की है । बहुत सारी बातें उठायी गयी थीं ।

जहां तक इम्प्लायीज फण्ड की बात है अगर कभी बीड़ी फैक्ट्री के मालिक ने मजदूरों से प्राविडेंट फण्ड का पैसा काटा है और उसने जमा नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जमा नहीं किया उसके लिए एक दण्डनीय प्रावधान है । वह एक बहुत बड़ी जुर्म है और प्राविडेंट फण्ड का पैसा काटकर जमा नहीं करेंगे तो यह इंडियन पीनल कोड की धारा 406-409 के अंदर यह काग्नीजेबल आफेंस है, उसका प्रासीक्यूशन हो सकता है, उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो सकती है। मैं उस संबंध में देखूंगा । इसके अतिरिक्त और बहुत सारी बातों की चर्चा यहां की गयी है उन सारी बातों को भी मैं देखूंगा । मैं सिर्फ यह विश्वास दिलाना चाहता हूं जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है । मैंने सारी जिन्दगी श्रमिकों की जमात के कल्याण के लिए काम किया है । मुझ उनके हितों की सुरक्षा के लिए चिंता है । खास तौर पर जो अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर के मजदूर है, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनकी आज हमें विशेष चिंता है और हम इस बात की कोशिश कर रहे है कि हम ज्यादा से ज्यादा उनके हितों की रक्षा के लिए कारगर कानून बनाये । लेकिन यह बात भी ठीक है कि कानून तो हम बनाते है पर उन कानूनों का कार्यान्वयन तो राज्य सरकारें करती है । राज्य सरकारें अगर उसका कार्यान्वयन, इम्प्लिमेंटेशन, उसके इन्फोर्समेंट में पूरी दिलचस्पी न लें और कारगर कदम न उठायें, तो सिर्फ कानून में व्यवस्था करने से ही उनको सारी सुविधायें नहीं मिल सकती है । लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इतने बड़े देश में जहां फेडरल स्ट्रक्चर हैं, जहां यह कनकरेंट सबजेक्ट है लेबर, राज्य सरकारें भी कानून बनाती है । सारी पावर्ज को हम केन्द्र में ही ले लें और एक एजेंसी से हम चाहें कि पूरे देश में जितने भी लेबर लाज है, उनका हम पूरे देश में इम्प्लिमेंटेशन करें, तो यह संभव नहीं हो सकता । लेकिन समय-समय पर हम राज्य सरकारों को इसके लिए मार्ग निर्देशन देते रहते हैं । बीड़ी मजदूरों के संबध में भी हम मार्ग निर्देशन देते रहते है और हम आशा करते है कि अगर राज्य सरकारें उसमें पूरी दिलचस्पी लें तो उनका शोषण बंद हो सकता है ।

न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेजज की बात उठाई गई है । जैसा कि आप जानते है कि मिनिमम वेजज ऐक्ट के मुताबिक राज्य सरकारें मिनिमम वेजज निर्धारित करती है । प्रत्येक राज्य में मिनिमम वेजज डिटर्मिन करने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी है, ट्रिपार्टाइट कमेटी है और वह बैठ कर मिनिमम वेज निर्धारित करते है । विभिन्न उद्योगों में काम करने वालों के लिए और बीड़ी मजदूरों के लिए भी यही तय करते है । परिस्थितियां भिन्न-भिन्न है । परिस्थितियों के मुताबिक यह ठीक बात है कि यूनिफार्म मिनिमम वेज किसी भी इंडस्ट्री का नहीं है, खास तौर पर अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में तो नहीं है । उसमें भिन्नता है, लेकिन इसीलिए स्टेट लेबल मिनिस्टर्ज कानफेंस मैंने बुलाई थी और मैंने उनसे यह कहा था कि जो मिनिमम वेज निर्धारित किये गये है अब तक, वैसे मैंने कहा था कि जो 1987 में लेबर मिनिस्टर्ज में यह तय हुआ था कि मिनिमम वेजज में हरेक दो साल पर या 50 प्रतिशत अगर उसकी कास्ट आफ लिविंग इंडैक्स में वृद्धि होती है, तो उसका रिविजन होना चाहिए । बहुत सी राज्य सरकारों ने उसको देर से किया, लेकिन जो 1987 में निर्धारित किया गया था वह करीब-करीब हो गया है ।

मैंने उनको इस बात की सलाह दी है कि भविष्य में जो प्राईस राइज की वजह से कास्ट बढ़ती है, उसकी प्रोटैक्शन के लिए उसकी वजह से इरोजन की प्रोटै-

[श्री बिन्देश्वरी दुबे]

क्शन के लिए कुछ न कुछ मेकेनिज्म वैसा निकालना चाहिए । वे भेरिएबल कम्पोनेंट जो है, उसको ध्यान में रख कर वेरिएबल डियरनेस अलौंस का एक सिस्टम निकालना चाहिए ।

मैं बताना चाहता हू कि जो केन्द्र सरकार के जूरिसडिक्शन में माइन्स वगैरह या दूसरी जो इंडस्ट्रीज है उनमें हमने इस सिस्टम को किया है । अभी हाल ही में माइन्स के 37 तरह के खदानों में, प्रासेसिज में हमने वेरिएबल डियरनेस अलौंस सिस्टम कार्यान्वित किया है, नोटिफाई किया है और कार्यान्वित किया है और मैंने राज्य सरकारों से भी कहा है, उनके साथ मैं पत्राचार कर रहा हूं कि भविष्य में वह भी अपने-अपने राज्यों में मिनिमम वेजज अपने यहां मजदूरों के वेजेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ वैसा मेकेनिज्म निकालें, वेरिएबल डियरनेस अलौंस का सिस्टम निकालें, जिससे दो साल तक, वैसे तो मूल कानून में पांच साल था, उसका मैंने फिर संशोधन लाया है कि हरेक दो साल पर ही होना चाहिए, या 50 प्रतिशत राईज इन कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स पर होना चाहिए, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि दो साल इन्तजार ही नहीं करना पड़े जैसे-जैसे कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स बढ़े उस हिसाब से उनकी मिनिमम वेजज भी बढ़ती जाए । इस तरह से जो असंगठित श्रमिक है, उनके हितों की रक्षा के लिये उनके शोषण में सुरक्षा को प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन किये जा रहे है, नये कानून लाये जा रहे है । आप जानते है पिछले साल ही हमने जो वर्कर्ज कांट्रैक्टर्ज के है उनके लिए कानून लाया था और इस साल जो कस्ट्रक्शन वर्कर्ज हैं, जो काफी शोषित रहे हैं, अन-आर्गेनाइज्ड है, उनके लिए भी एक विधेयक पेश किया है । इस बात की पूरी कोशिश केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकार का श्रम मंत्रालय कर रहा है कि अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर के मजदूरों के शोषण को समाप्त किया जाए । इन्हीं शब्दों के साथ, उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करते हुए जिन्होंने उसका स्वागत किया है मैं आग्रह करता हूं कि वे इस बिल को एकमत से स्वीकार करें ।

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM : Mr. Vice Chairman, Just one minute. I thank the Minister for giving us an assurance on setting up a Regional Provident Fund Office at Tirnelveli. But at the same time he has failed to answer two of my important points. He was reminded about taking up prosecution against the employers in case of their failure to pay the PF amount. But my point is the illiterate worker is not provided with any documentary evidence for payment of the PF amount. Some book system is necessary; otherwise, he is not in a position to know how much he has paid. Secondly, we are collecting cess at the rate of 30 paise per thousand. I want to know from the Minister how much amount has so far been accumulated with the Government so that, if necessary, we can ask for more from the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): And that 30 paise cess was decided in 1976; after that the biri prices must have gone up three to four times...

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: I want to know about the passbook system and the accumulated welfare amount.

डा० अबरार अहमद खान (राजस्थान): उसभाध्यक्ष जी, एक बात कहना चाहूंगा कि बीड़ी मजदूरों के लिए कानून बहुत अच्छा है । एक तरफ कानून है और दूसरी तरफ श्रमिक है, लेकिन जो सब से बडी दुविधा है वह लेबर आफिसर या लेबर इंसपैक्टर है । वे लेबर आफिसर और लेबर इंसपैक्टर

उन बीड़ी बनवाने वाले सेठों से मिलकर मजदूरों का शोषण करते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में जानना चाहूंगा कि कानून तो बहुत अच्छा है लेकिन उस कानून को इंप्लीमेंट करवाने वाले जो लेबर आफिसर या लेबर इंस्पेक्टर्ज हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए जिससे उन बीड़ी मजदूरों को राइट मिलने वाले हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : इसके बारे में उन्होंने आलरेडी कहा है।

डा० अबरार अहमद खान : जैसे श्री अलादी अरुण जी ने कहा है पी० एफ० की डायरी के बारे में, मैं आपको राजस्थान के बारे में बताना चाहता हूं कि एक लाख सोलह हजार बीड़ी मजदूर हैं और कम से कम एक मात्र अप्रत्यक्ष रूप से बीड़ी मजदूर हैं उसमें से 50 हजार बीड़ी मजदूरों का पी० एफ० नहीं कटता पाता है और न उनको रसीदें दी जाती हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : यह बात हो गई है।

श्री नरेश सी० पुगलिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में पूरी जानकारी जो अभी हमारे माननीय सदस्यों से पूछी थी और जो भी इसमें कठिनाई बताई थी उस पर बात की है लेकिन मैं उस पर दो चीजों के बारे में पूछना चाहूंगा क्योंकि मंत्री महोदय ने क्लाइंट क्लीयर नहीं किया है। एक तो कान्ट्रेक्ट सिस्टम एबालिश करने के बारे में जो हमने कहा था, बीड़ी निर्माण के क्षेत्र में कांट्रेक्ट बसिस पर 90 परसेंट काम चलता है उसको एबोलिश किया जाएगा या नहीं दूसरे जो मेरा सवाल है उसका उत्तर भी नहीं मिला, 30 पैसा जो सैंप प्रति हजार बीड़ी पर हैं पिछले 10-12 साल से उसको बढ़ाकर क्योंकि बीड़ी की कीमतें पिछले दस साल में तिगुनी-चौगुनी बढ़ चुकी है लेकिन सैंप पुराना ही है तो 30 पैसे से बढ़ाकर उस को एक रुपया कम से कम किया जाएगा? इन दोनों सवालों का जवाब मंत्री महोदय अपने उत्तर में जरूर बतायेंगे। धन्यवाद।

श्री विन्देश्वरी दुबे : महोदय, एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि अब तक कितने पैसे वेलफेयर फंड के खर्च हुए हैं और कितने पैसों का अभी बैलेंस है, वैसे तो मेरे पास 1977-78 से लेकर 1988 89 तक का विवरण है लेकिन 1988-89 में 15 करोड़ 37 लाख 54 हजार 234 रुपये ओपनिंग बैलेंस थे और 11 करोड़ 2 लाख 4 हजार 804 रुपये आए तथा 8 करोड़ 63 लाख 1 हजार रुपये खर्च का अनुमान है। 1989-90 में 17 करोड़ 76 लाख 58 हजार 38 रुपये बलेन्स होने का अनुमान है। और इसीलिए मैंने कहा है कि मैंने यह निर्णय लिया है कि यह जो इतना फण्ड है इससे उन जगहों पर जहां बीड़ी मजदूरों का अधिकांश जमाव है वहां पर उनके लिए अस्पताल की खासतौर पर टी० बी० हस्पताल की सुविधा को बढ़ाया जाय इस संबंध में हम लोग विचार कर रहे हैं।

जहां तक कांट्रेक्टर्स की प्रथा को बिल्कुल हटाने का सवाल है उसकी व्यवहारिकता पर हम लोग विचार करेंगे हरेक राज्यों में कन्ट्रेक्ट अबोलिशन के लिए यदि आर्गेनाइज सेक्टर में भी यही व्यवहारिक नहीं होता उसके लिए एडवायजरी बोर्ड है, वह सोचती है। इस संबंध में भी स्टेट एडवायजरी बोर्ड सोच सकती है चूंकि बीड़ी इण्डस्ट्री की एसोसिएट गवर्नमेंट राज्य सरकार ही है। इस अमेंडमेंट के जरिए जो एक लेकुना था उसमें कि जो एम्पलायर हैं या कांट्रेक्टर हैं तो एम्पलायर द्वारा नियोजित या कांट्रेक्टर द्वारा नियोजित या एम्पलायर कांट्रेक्टर की अण्डरस्टेंडिंग से या दोनों में एक को अण्डरस्टेंडिंग से अगर वह काम करना हो तो किस की जिम्मेदारी होगी उस इम्पलाई के लिए यह एक विवादास्पद विषय था। इसमें कुछ कोर्ट में भी मामले गए और उसमें यह जो लेकुना था उसकी वजह से यह कोर्ट से रिहा हो गए। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि वह सीधे

[श्री बिन्देश्वरी दुबे]

एम्पलायर द्वारा नियोजित हो या कांट्रेक्टर द्वारा नियोजित हो या दोनों में से किसी की अण्डरस्टेंडिंग से काम कर रहा हो, पर हर हालत में जो एम्पलाई है, उसके लिए वह कांट्रेक्टर और एम्पलायर जिम्मेदार माना जाएगा, जिसके साथ वह काम कर रहा है।

मेरा ख्याल है, और बातों को तो मैंने साफ कर ही दिया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : नहीं, सेस के बारे में उन्होंने पूछा था कि यह 30 पैसे सेस 1976 में निर्धारित किया था उसके बाद दस साल हो गए। बीड़ी की कीमत बढ़ गई है तो क्या सेस बढ़ाने का भी आप कुछ सोच रहे हैं।

श्री बिन्देश्वरी दुबे: महोदय, इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकृष्ण मालवीय): उपसभाध्यक्ष जी, एक बात बताना चाहूंगा, सेस की बात जो माननीय सदस्य ने उठाई हैं, यह सेस 1987 के पहले 10 पैसे था, उसको 1987 के बाद से 30 पैसे कर दिया है। यह पहले 10 पैसे था और उसके बाद 30 पैसे किया गया है।

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश) : सर मैं यह जानना चाहती हूं माननीय मंत्री जी से कि जैसे सप्ताह में एक दिन की छुट्टी दी गई है तो क्या उस छुट्टी का पैसा औद्योगिक संस्थाएं वहन करेंगी या उन लोगों का, जो बीड़ी मजदूर हैं, उनका एक दिन का लोस माना जाएगा ?

श्री बिन्देश्वरी दुबे : सर, इसमें व्यवस्था है। यह जो मूल कानन है, इसमें व्यवस्था है साप्ताहिक छुट्टी की और वह पैसे के साथ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The question is:

"That the Bill to amend the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Empoyment) Act, 1966, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill

Clauses 2 to 10 were added to the Bill.

Clause 1—Short Title and commencement.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): There is one amendment by the Minister.

SHRI BINDESHWARI DUBEY: Sir, I beg to move:

"That at page 1, line 4, for the figure '1987' the figure '1989' be 'substituted'

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The question is:

"That Clause 1, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): There is one amendment by the Minister.

SHRI BINDESHWARI DUBEY: Sir, I beg to move:

"That at page 1, line 1, for the word 'Thirtieth-eight the word 'Fortieth be substituted."

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill

SHRI BINDESHWARI DUBEY Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now the House stands adjourned and will meet again on Wednesday, the 15th March, 1989 at 11 A.M.

The House then adjourned at one minute past seven the clock till eleven of clock on Wednesday, the 15th March, 1989.